

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक-200 /954 /बजट/08

भोपाल, दिनांक- 4/2/09

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय  
(नीचे दर्शाये अनुसार)  
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2008-09 में अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन संदर्भ-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2797 / 954 / बजट-अनु/शा-7 / 08 दि. 17.9.2008

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को, संदर्भित पत्र के अनुक्रम में प्रेषित जानकारी के आधार पर उनके नाम समक्ष अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	शासकीय महावि० का नाम	स्थान	जिला	राशि
1	शा० कन्या स्नातको० महावि०	मुरार	ग्वालियर	282000
2	शा० वीरेन्द्र शाह महावि०	डबरा	ग्वालियर	141000
3	शा० महाराजा महावि० छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	620400
4	शा० कन्या महावि० छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	169200
5	शा० छत्रसाल महाराजा महावि०	महाराजपुर	छतरपुर	253800
6	शा० महाविद्यालय	हरपालपुर	छतरपुर	169200
7	शा० महाविद्यालय	बिजावर	छतरपुर	84600
8	शा० कन्या महाविद्यालय	सीधी	सीधी	197400
9	शा० महाविद्यालय	चुरहट	सीधी	169200
10	शा० होल्कर विज्ञान महावि०	इंदौर	इंदौर	282000
11	शा० जवाहरलाल नेहरू महावि०	नेपानगर	बुरहानपुर	28200
12	शा० वीरागना अवन्ती कन्या महावि०	टीकमगढ़	टीकमगढ़	180000
13	शा० विवेकानन्द महावि०	मेहर	सतना	360000
14	शा० महाविद्यालय	जैतवारा	सतना	181440
15	शा० महाविद्यालय	रामपुरनैकिन	सीधी	332400
16	शा० महाविद्यालय	बैठन	सीधी	36000
17	शा० महाविद्यालय	देवसर	सीधी	72000
18	शा० महाविद्यालय	मनासा	नीमच	540000
19	शा० महाविद्यालय	मकसी	शाजापुर	72000
20	शा० महाविद्यालय	सरदारपुर	धार	36000
21	शा० विवेकानन्द महावि०	बैरसिया	भोपाल	169600

क्र०	शासकीय महावि० का नाम	स्थान	जिला	राशि
22	शा० कन्या महावि०	राँधी	जबलपुर	36000
23	शा० महाविद्यालय	लाँजी	बालाघाट	144000
	योग			4556440

राशि रू० पैतालीस लाख, छप्पन हजार, चार सौ चालीस -

उपरोक्त राशि का आहरण एवं व्यय मांग संख्या-44-2202-03-104-7043-42-007 (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु) आयोजनेतर मद के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के बजट से विकलनीय होगा।

(2) यह सुनिश्चित कर लें कि स्व-वित्तीय योजन अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है।


(3) अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान के संबंध में, निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक-785/63/आउशि/शा-2/(5)/08 दि० 28.4.2008 की कंडिका 11,12 के अनुसार सुनिश्चित करें।

(4) संबंधित अतिथि विद्वान को मानदेय राशि के भुगतान एवं आवंटित राशि कोषालय से आहरण पश्चात् जानकारी प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त आवंटन की किश्त स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(5) आवंटित राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2008-09 में आमंत्रित अतिथि विद्वानों को भुगतान राशि की प्रतिपूर्ति हेतु करें।

(6) उक्त आवंटन आयुक्त कोष-लेखा के सेंट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है। मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित


  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक 251 / 954/बजट/08,

भोपाल, दिनांक 04.02.09

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश